

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ सिविल रिट पिटीशन नम्बर 6821/2009

मुकेश

बनाम

राज. राज्य व अन्य

आदेश दिनांक

मई 29, 2009

उ प स्थित

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री सुदेश बंसल, अधिवक्ता याची

श्री जाकिर हुसैन, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता

अयाचीगण को रिट याचिका के नोटिस जारी किये जावे।

विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता श्री जाकिर हुसैन, जो कि न्यायालय में उपस्थित है, अयाचीगण की तरफ से नोटिस स्वीकार करते हैं।

प्रकरण को गुणावगुण पर सुना गया।

याची के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा समान प्रकृति के प्रकरण सरिता व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, जो एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4652/2009 एवं समान प्रकृति की अन्य याचिकाओं में दिनांक 08/05/2009 को निर्णय पारित किया गया है, का अवलंब लेते हुए यह तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दू उक्त निर्णय से पूर्णतया आच्छादित है।

राज्य सरकार की तरफ से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता यह विवादित करने की स्थिति में नहीं है कि प्रस्तुत प्रकरण किसी भी प्रकार से सरिता व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य (उपरोक्त उद्धृत) के प्रकरण से भिन्न है।

उक्त निर्णय के अवकलोकन के पश्चात मैं यह पाता हूँ कि प्रस्तुत प्रकरण में विद्यार्थी मित्र, जिन्हें कि आक्षेपित आदेश के द्वारा अनुबंध की सेवा अवधि समाप्त होने के पश्चात स्वतः ही सेवामुक्त किया हुआ मान लिया गया था, को स्वेच्छाचारी व अवैध घोषित कर दिया है।

परिणामतः यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है तथा यह निर्देश दिया जाता है कि उक्त निर्णय में दिये गये निर्देश प्रस्तुत प्रकरण में अक्षरक्षः लागू रहेंगे तथा अयाचीगण तदनुरूप दिये गये निर्देशों की पालना करने के लिए बाध्यकारी होंगे।

(न्या० मोहम्मद रफीक)

बीएलजैन